

पेटेंट एजेंट एग्जाम हिंदी भाषा में कराने बावत

श्रीमान को यह बताना चाहते है कि पेटेंट अधिनियम एवं नियमो के हिसाब से पेटेंट का आवेदन हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। लेकिन पेटेंट एजेंट की परीक्षा भारत सरकार केवल अंग्रेजी भाषा में कराती है। पिछले कई वर्षों से पेटेंट एजेंट की परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी भाषा में कराई का रही है जबकि इस बावात कोई नियम नहीं है।

हाल में कंट्रोलर जनरल पेटेंट द्वारा 2020 में होने वाली पेटेंट एजेंट की परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया गया है। भाजपा सरकार से अनुरोध है कि भाजपा कार्यकाल में हिंदी को बढ़ावा मिले और पेटेंट एजेंट की परीक्षा द्विभाषीय हिंदी और अंग्रेजी में कराई जाए।

धन्यवाद